

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
शुद्धि पत्र

सं0सं0-ह0क0(10)विविध-20/2016

स्वीकृत्यादेश सं0-968 दिनांक-15.03.2017 की कंडिका-4 में उल्लिखित "योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट- I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे", के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये:-

"योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-1 के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार से सार विपत्र-BTC-26 पर एक मुश्त अग्रिम के रूप में करेंगे"।

प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
शेष शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेंगे।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1270

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1270

पटना, दिनांक-27/03/2017

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1270

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ जिला पदाधिकारी, भागलपुर/आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।